The Working system of Police in India: A Sociological Study

भारत में पुलिस कार्यप्रणाली : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ पुष्पा वर्मा
सहायक प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
एस एस जे परिसर
अल्मोड़ा उत्तराखंड

डॉ जितेंद्र प्रकाश त्यागी
सहायक प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
पी एन जी राज0 पी0जी0 कॉलेज रामनगर
नैनीताल उत्तराखंड

Abstract

पुलिस हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है समाज वर्तमान समय में निष्ठावान,कर्तव्यशील तथा सक्रिय पुलिस के अभाव में ना तो स्थिर रह सकता है और ना ही प्रगति कर सकता है। हमारे समाज में हमेशा से ही इस प्रकार के व्यक्ति सक्रिय रहते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज के नियमों तथा कानूनों का उल्लंघन करते रहते हैं । अगर इन लोगों को पुलिस का डर ना हो तो समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वास्तव में पुलिस का डर ही इस प्रकार के गलत कार्यों पर अंकुश लगाने का कार्य करता है जिसके कारण समाज में कानून व्यवस्था बनी रहती है यही कारण है कि सभ्यता के प्रारंभिक स्तर से ही पुलिस संगठन का अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना रहा है। प्रस्तुत शोध में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति युवाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

Keywords: पुलिस, अराजकता, कानून व्यवस्था, युवा।

प्राचीन भारत का स्थानीय शासन मुख्यत: गांव की पंचायतों पर आधारित था। गाँव के न्याय एवं शासन संबंधी कार्य गांव के ही व्यक्ति जिसे ग्रामिक कहते हैं, के द्वारा संचलित किए जाते थे। इसकी सहायता और निर्देशन गांव के वयोवृद्ध करते थे। यह ग्रामिक राज्य के द्वारा वेतन मिलने वालेअधिकारी नहीं होते थे वरन् इन्हें ग्राम के व्यक्ति अपने लोगों में से चुन लेते थे। ग्रामिकों के ऊपर 5-10 गाँवों की व्यवस्था के लिए "गोप" एवं लगभग एक चौथाई जनपद की व्यवस्था करने के लिए "स्थानिक" नामक

अधिकारी होते थे। प्राचीन यूनानी इतिहासवेतताओं ने लिखा है कि इन गांव के अधिकारियों द्वारा अपराधों की रोकथाम का कार्य अच्छे ढंग से होता था और उनके संरक्षण में जनता अपने कार्य रहन सहन व्यापार उद्योग-बिना डर के निर्भय होकर करती थी। एकतंत्रआत्मक समाज में पुलिस एक तानाशाह के रूप में कार्य करती है जिसे बहुत अधिकार प्राप्त होते हैं जिसका दुरूपयोग पुलिस के द्वारा किया जाता है जबकि भारत में जहां पर जनता के द्वारा शासक चुना जाता है वहां पर पुलिस सीमित अधिकारों का प्रयोग करते हुए ही राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करती है । मुगलों के पतन के उपरांत भी ग्रामीण शासन की परंपरा चलती रही। लेकिन इसके बाद यह हुआ कि शासन की ओर से नियुक्त अधिकारियों की शक्ति लगभग खत्म सी हो गई। सन् 1765 में जब अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी हथिया ली तब जनता का दायित्व उन पर आया। वारेन हेस्टिंग्ज़ ने सन् 1781 तक फौजदारों और ग्रामीण पुलिस की सहायता से पुलिस शासन की रूपरेखा बनाने के प्रयोग किए और अंत में वह सफल हो गए। लार्ड कार्नवालिस का यह विश्वास था कि अपराधियों की रोकथाम के निमित्त एक वेतन भोगी एवं स्थायी पुलिस दल की स्थापना आवश्यक है। इसके अंतर्गत जिले के मजिस्ट्रेटों को यह आदेश दिया गया कि प्रत्येक जिले को अनेक पुलिसक्षेत्रों में विभक्त किया जाए और प्रत्येक पुलिस क्षेत्र दारोगा नामक अधिकारी के निरीक्षण में सौंपा जाय। इस प्रकार दारोगा का उद्भव हुआ। बाद में गांव के चौकीदारों को भी दारोगा के अधिकार में दे दिया गया।

इस प्रकार वर्तमान पुलिस शासन की रूपरेखा का जन्मदाता लार्ड कार्नवालिस था।भारतीय पुलिस संगठन का निर्माण अंग्रेजी सरकार के द्वारा अर्थ सैन्य बल के रूप में अपने देश की सुरक्षा के लिए किया गया था इसके साथ ही अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों को खोजने का कार्य भी ब्रिटिश भारतीय पुलिस के द्वारा किया जाता था। उस समय पुलिस एक निर्णय संस्था के रूप में कार्य करती थी जिसे ऊंचे अधिकारियों के द्वारा भी संरक्षण प्राप्त था। इस कारण दुर्व्यवहार तथा शक्ति का दुरूपयोग ब्रिटिश भारतीय पुलिस का एक कानूनी अधिकार बन गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पुलिस की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसके पश्चात पुलिस एक दमनकारी संगठन के रूप में नहीं वरन एक कल्याणकारी संगठन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने लगी ।संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा का वचन दिया गया है इसलिए सरकार ने पुलिस की भूमिका को और अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण बना दिया है जिससे कि पुलिस के द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो

अन्य सिविल सर्विसेज की भांति पुलिस की मुख्य भूमिका समाज में शांति व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। वर्तमान में हमारे देश में अपराध को रोकने का कार्य दायित्व पुलिस, थाना अथवा पुलिस स्टेशन का है। थाने में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी इन दायित्वों का पालन करते हैं ।सन् 1861 के पुलिस ऐक्ट के आधार पर पुलिस शासन प्रत्येक प्रदेश में स्थापित है। इसके अंतर्गत प्रदेश में महानिरीक्षक की अध्यक्षता में और उपमहानिरीक्षकों के निरीक्षण में जनपदीय पुलिस शासन स्थापित है। प्रत्येक जनपद में सुपरिटेंडेंट के संचालन में पुलिस कार्य करती है। सन् 1861 के ऐक्ट के अनुसार जिलाधीश को जनपद के अपराध संबंधी शासन का प्रमुख और उस रूप में जनपदीय पुलिस के कार्यों का निर्देशक माना गया है।

डेविड वैली बोर्डिंग तथा आस्तीन तर्क ने लिखा है कि किसी भी समाज की पुलिस की संरचना तथा भूमिका का निर्धारण उस समाज की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा शासन की नीतियों के अनुरूप की जाती है जिससे कि एक निश्चित शासन व्यवस्था के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों को नियमित तथा नियंत्रित किया जा सके । पुलिस फोर्स का निर्माण राज्य के द्वारा अपनी नीतिगत योजनाओं को लागू तथा प्रभावी बनाने के लिए जाता है पुलिस की भूमिका को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है सेवा सुरक्षा तथा नियंत्रण। इसका अभिप्राय यह है कि आपातकाल में सेवा प्रदान करना ,गाइड करना ,जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा करना, स्वतंत्र सूचनाएं एकत्रित करना तथा व्यक्तियों के समाज तथा कानून विरोधी व्यवहारो पर नियंत्रण लगाना पुलिस बल की प्रमुख भूमिकाएं हैं।

वर्तमान समय में भारतीय समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में पुलिस की भूमिका एक निरंकुश संगठन के रूप में बन गई है। एक नियंत्रआत्मक संगठन के रूप में अधिक कार्य कर रही है और एक सेवा प्रदान वाले के रूप में कम। आए दिन समाचार पत्रों में तथा टीवी चैनलों पर पुलिस की भूमिका को एक निरंकुश अथवा अत्याचारी के रूप में पेश किया जाता है कभी पुलिस वकीलों पर लाठी-डंडे चलाती है तो कभी किसी फैक्ट्री में हड़ताल करने वाले श्रमिकों पर कभी छात्रों पर तो कभी धार्मिक स्थलों में भक्तों पर ।पुलिस की भूमिका एक लापरवाह जन सेवक के रूप में भी सामने आती है।

पुलिस समाज में कानून को लागू करने की एकमात्र व्यवस्था है।पुलिस की मुख्य भूमिका समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। पुलिस सरकारी तंत्र की एक ऐसी शाखा है जिसका कार्य समाज में शांति सुरक्षा तथा नैतिक नियमों को बनाए रखना

है। पुलिस और जनता एक दूसरे के पूरक है दोनों ही किसी न किसी रूप में एक साथ अंतः क्रिया करते हैं लेकिन पुलिस और जनता के बीच संबंध इतने अच्छे नहीं है जितने होनेचाहिए ।नेशनल पुलिस कमीशन ने भी यह संकेत दिए हैं कि पुलिस तथा जनता के बीच संबंध सामान्य नहीं है। इसके अनेक कारण हैं जैसे पुलिस का पक्षपात पूर्ण व्यवहार,अत्याचार,गंभीर अपराधों को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर न करना, पुलिस द्वारा उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना जो वास्तव में पुलिस की सहायता करना चाहते हैं। विभिन्न संगठनों के द्वारा समय-समय पर जो सर्वेक्षण किए गए हैं उनमें यही निष्कर्ष निकाला गया है कि पुलिस की छवि जनता के बीच अच्छी नहीं है क्योंकि पुलिस के द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह नियमानुसार नहीं किया जाता है। पुलिस अपनी भूमिका तब तक ठीक प्रकार से नहीं कर सकती जब तक कि उसे जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त ना हो और यह तब प्राप्त हो सकता है जब पुलिस अथवा जनता के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो जाएंगे। तब ना केवल समाज मैं व्याप्त अपराधों को रोका जा सकेगा तथा दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ेगा । कुछ लोगों का यह मानना है कि युवा पुलिस का सहयोग नहीं करती है लेकिन युवाओं के द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि पुलिस उनकी सेवा करने के लिए नही बल्कि पुलिस राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति संपन्न व्यक्तियों की सेवा करने के लिए है। युवा सोचते है कि पुलिस का सहयोग करना स्वयं को संकट तथा असुविधा में डालना है ।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में 75% लोगो ने कहा कि पुलिस के द्वारा अपनी ड्यूटी का निर्वाहिन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है।सुल्तान अकबर खान ने पुलिस पावर एंड पब्लिक पुस्तक में लिखा कि पुलिस की इच्छा है कि जन सामान्य उनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें । डॉक्टर एम एस न्यास द्वारा किए गए अध्ययन में पुलिस रोल एटीट्यूटस एंड एटीट्यूड ट्रांसफॉरमेशन में है लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय पुलिस ने अपनी निर्धारित भूमिकाओं का निर्वहन निष्ठा पूर्वक किया है। इसका अभिप्राय यह है कि पुलिस की जो बहुआयामी भूमिकाएं हैं वह उनके द्वारा निभाई जा रही है जिससे कि समाज में ना केवल शांति एवं व्यवस्था बनी है बल्कि लोगों के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा हो रही है तथा अपराधों पर भी नियंत्रण लगा है।

संदर्भ :

(1) आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था : डॉ रामलाल सिंह यादव
(2) पुलिस पावर एंड पब्लिक : सुल्तान अकबर खान
(3) पुलिस एंड पॉलीटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया : डी एच बैली
(4) विकीपीडिया।